

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 360 सन 2021

अनवान :-

1. संदीप कुमार उर्फ संन्दीप पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. सुशिला पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 21.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 19 आरडब्यलडी के खाता संख्या 46/86 की कुल 0.7590हैक खाता संख्या 63/86 की कुल 0.7590हैक खाता संख्या 96/74 की कुल 0.2530हैक खता संख्या 47/41 की कुल 2.0240हैक खाता संख्या 59/50 की कुल 2.1250हैक भूमि खाता संख्या 85/74 की कुल 1.7710हैक व खाता संख्या 56/48 की कुल 0.5574हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से सयुक्त खाते में दर्ज है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य थे जिन्होंने भूमि काश्त, सिचाई सुविधा एवं आवागमन के लिये रास्तो का ध्यान रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि दर्ज नहीं है वादी बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है जिसे वादी एवं प्रतिवादी गण के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है एव खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने काश्त की सुविधा एवं सिचाई एवं आवागमन के रास्ते को ध्यान में रखा जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण
फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण
अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी
के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात
वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश
किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों
के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज
646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा
के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक
दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी
डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार
रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 46/86 की कुल 0.7590हैक खाता संख्या
63/86 की कुल 0.7590हैक खाता संख्या 96/74 की कुल 0.2530हैक खता संख्या 47/41
की कुल 2.0240हैक खाता संख्या 59/50 की कुल 2.1250हैक भूमि खाता संख्या 85/74 की
कुल 1.7710हैक व खाता संख्या 56/48 की कुल 0.5574हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में
वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से सयुक्त खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम बतौर
खातेदार काश्तकार दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने आपसी सहमति से
किये गये बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के
कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं
प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती
हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा
चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य
सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित
होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार
करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत
साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री
किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के
जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 46/86 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल
0.7590 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर व खाता संख्या
63/86 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम
कलमजन किया जाकर वादी के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी के
खाता संख्या 47/41 के प0 नं0 225/400 (9) के किला नं. 1 की 0.025 है0, मिन उत्तर
व 2 की 0.025 है0, 3 की 0.025 है0, 4 की 0.025 है0, 5 की 0.025 है0 भूमि गै0 मु0 खाला
दर्ज किया जावे तथा किला नं. 4 मिन पश्चिम की 0.025 है0 व किला नं. 7 मिन पश्चिम
की 0.025 है0, भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 रामकुमार को खातेदार काश्तकार दर्ज किया
जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के यथावत रखी जावे। तथा रोही मौजा 19
आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता संख्या 85/74 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.
7710 है0 भूमि में से प0 नं0 225/399 (8) के किला नं. 13 मिन पश्चिम की 0.114 है0 व
मिन पूर्व की 0.114 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के दर्ज की जावे तथा किला नं. 13
मिन मध्य की 0.013 है0 भूमि वादी के नाम यथावत रखी जावे तथा किला नं. 14 की 0.253
है0, 17 की मिन दक्षिण पश्चिम कोना की 0.012 है0 भूमि को छोड़कर 0.241 है0 भूमि व 24
मिन पश्चिम की 0.025 है0 भूमि को छोड़कर 0.228 है0 भूमि व किला नं. 18 मिन उत्तर

पूर्वी कोना की 0.060 है० व उत्तरी पूर्वी कोना की 0.048 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा किला नं. 18 में से मिन उत्तरी पूर्वी कोना की 0.048 है० भूमि छोड़कर मिन मध्य से पूर्व की ओर 0.013 है० (दो गट्टा चोड़ी) भूमि तथा किला नं. 17 मिन दक्षिण पश्चिम कोना की 0.012 है० (दो गट्टा चोड़ी) व 24 मिन पश्चिम की 0.025 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 रामकुमार को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा शेष भूमि वादी के नाम यथावत रखी जावे। तथा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता संख 59/50 के प० नं० 225/400 (9) के किला नं. 12 मिन उतर की 0.028 है०, 14 मिन उतर की 0.027 है० (0.001 है० उतरी पश्चिमी कोना छोड़कर) किला नं. 13 मिन उतर की 0.28 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम दर्ज की जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के यथावत रखी जावे तथा 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 56/48 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.5574 है० भूमि में वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 रामकुमार को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 96/74 के प० नं० 225/399 (8) किला नं. 08 मिन पश्चिम की 0.0127 भूमि छोड़ कर 0.050 है० भूमि उत्तर से दक्षिण वादी के नाम दर्ज की जावे तथा शेष प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रहेगी तथा यदि बैक ऋण हो तो रहन यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (सजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (इन्मानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट- थालडका

सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. संदीप कुमार उर्फ संन्दीप पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. सुशिला पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 923 सन 2021 निर्णय दिनांक-21.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 46/86 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर व खाता संख्या 63/86 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 47/41 के प0 नं0 225/400 (9) के किला नं. 1 की 0.025 है0, मिन उत्तर व 2 की 0.025 है0, 3 की 0.025 है0, 4 की 0.025 है0, 5 की 0.025 है0 भूमि गै0 मु0 खाला दर्ज किया जावे तथा किला नं. 4 मिन पश्चिम की 0.025 है0 व किला नं. 7 मिन पश्चिम की 0.025 है0, भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 रामकुमार को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के यथावत रखी जावे। तथा रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता संख्या 85/74 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि में से प0 नं0 225/399 (8) के किला नं. 13 मिन पश्चिम की 0.114 है0 व मिन पूर्व की 0.114 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के दर्ज की जावे तथा किला नं. 13 मिन मध्य की 0.013 है0 भूमि वादी के नाम यथावत रखी जावे तथा किला नं. 14 की 0.253 है0, 17 की मिन दक्षिण पश्चिम कोना की 0.012 है0 भूमि को छोड़कर 0.241 है0 भूमि व 24 मिन पश्चिम की 0.025 है0 भूमि को छोड़कर 0.228 है0 भूमि व किला नं. 18 मिन उत्तर पूर्वी कोना की 0.060 है0 व उत्तरी पूर्वी कोना की 0.048 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा किला नं. 18 में से मिन उत्तरी पूर्वी कोना की 0.048 है0 भूमि छोड़कर मिन मध्य से पूर्व की ओर 0.013 है0 (दो गट्टा चोड़ी) भूमि तथा किला नं. 17 मिन दक्षिण पश्चिम कोना की 0.012 है0 (दो गट्टा चोड़ी) व 24 मिन पश्चिम की 0.025 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 रामकुमार को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा शेष भूमि वादी के नाम यथावत रखी जावे। तथा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता संख 59/50 के प0 नं0 225/400 (9) के किला नं. 12 मिन उतर की 0.028 है0, 14 मिन उतर की 0.027 है0 (0.001 है0 उतरी पश्चिमी कोना छोड़कर) किला नं. 13 मिन उतर की 0.28 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम दर्ज की जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के यथावत रखी जावे तथा 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 56/48 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.5574 है0 भूमि में वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 रामकुमार को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 96/74 के प0 नं0 225/399 (8) किला नं. 08 मिन पश्चिम की 0.0127 भूमि छोड़ कर 0.050 है0 भूमि उत्तर से दक्षिण वादी के नाम दर्ज की जावे तथा शेष प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रहेगी तथा यदि बैक ऋण हो तो रहन यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट.....थालडका